न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), संगरिया

पीठासीन अधिकारी :- जय कौशिक (आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 51/2026

वाद अंतर्गत धारा 88 आर.टी.ए.

शंकरलाल पुत्र श्री भैरा राम जाति बावरी निवासी 5 एन.टी.डब्ल्यू. रतनपुरा तहसील तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

–वादी

बनाम्

1. रामेश्वरी देवी पुत्री श्री भैराराम पत्नी श्री भंवरलाल जाति बावरी निवासी 5 एन.टी.डब्ल्यू. रतनपुरा तहसील तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) हाल आबाद प्रेमपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. लिछमी पुत्री श्री भैराराम पत्नी श्री कृष्णराम जाति बावरी निवासी 5 एन.टी. डब्ल्यू. रतनपुरा तहसील तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) हाल आबाद कम्मनिया जिला श्रीगंगानगर(राज.)
3. शांति पुत्री श्री भैराराम पत्नी श्री मेघराज जाति बावरी निवासी 5 एन.टी.डब्ल्यू. रतनपुरा तहसील तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) हाल आबाद गंगा गोरीवाला तहसील व जिला सिरसा(हरि.)
4. विद्या पुत्री श्री भैराराम पत्नी श्री ओम जाति बावरी निवासी 5 एन.टी.डब्ल्यू. रतनपुरा तहसील तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) हाल आबाद गंगा गोरीवाला तहसील व जिला सिरसा(हरि.)
5. चन्द्रकला पुत्री श्री भैराराम पत्नी श्री अमीलाल जाति बावरी निवासी 5 एन.टी. डब्ल्यू. रतनपुरा तहसील तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) हाल आबाद समेजा कोठी जिला श्रीगंगानगर(राज.)
6. कृष्णा देवी (पत्नी काशीराम) पुत्री कमला देवी पुत्री श्री भैराराम जाति बावरी निवासी 5 एन.टी.डब्ल्यू. रतनपुरा तहसील तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) हाल आबाद बाजीगर धर्मशाला के पास 2 के.ए.एम जिला श्रीगंगानगर(राज.)
7. रोशनी देवी (पत्नी जयपाल) पुत्री कमला देवी पुत्री श्री भैराराम जाति बावरी निवासी 5 एन.टी.डब्ल्यू. रतनपुरा तहसील तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) हाल आबाद चक 7ई छोटी जिला श्रीगंगानगर(राज.)
8. सरस्वती (पत्नी जगदीश) पुत्री कमला देवी पुत्री श्री भैराराम जाति बावरी निवासी 5 एन.टी.डब्ल्यू. रतनपुरा तहसील तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) हाल आबाद घमंडिया जिला श्रीगंगानगर(राज.)

लगातार --2

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

9. सावित्री देवी (पत्नी रणजीत) पुत्री सरबती पुत्री श्री भैराराम जाति बावरी निवासी 5 एन.टी.डब्ल्यू. रतनपुरा तहसील तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) हाल आबाद चक 49एल.एल.डब्ल्यू. जिला श्रीगंगानगर (राज.)
10. ताराचंद (पुत्र मोमनराम) पुत्र सरबती पुत्री श्री भैराराम जाति बावरी निवासी चक 7 एस.जे.एम. ए जिला श्रीगंगानगर(राज.)
11. राजाराम (पुत्र मोमनराम) पुत्र सरबती पुत्री श्री भैराराम जाति बावरी निवासी चक 7 एस.जे.एम. ए जिला श्रीगंगानगर(राज.)
12. देशराज (पुत्र मोमनराम) पुत्र सरबती पुत्री श्री भैराराम जाति बावरी निवासी चक 7 एस.जे.एम. ए जिला श्रीगंगानगर(राज.)
13. भोजराज (पुत्र मोमनराम) पुत्र सरबती पुत्री श्री भैराराम जाति बावरी निवासी चक 7 एस.जे.एम. ए जिला श्रीगंगानगर(राज.)
14. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया तहसील संगरिया।

–प्रतिवादीगण

उपस्थिति :–

वादी की ओर से :– **श्री गुरमीत सिंह कलसी, एडवोकेट**

प्रतिवादी सं. 1ता13 की ओर से :– **श्री गुरविन्द्र सिंह राजपाल, एडवोकेट**

निर्णय दिनांक :– 10.3.2026

वकील वादी द्वारा उक्त दावा इन तथ्यो के आधार पर पेश किया कि वादी तथा प्रतिवादी सं. 1 ता 13 एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य है। जो कि मृतक भैरा राम पुत्र श्री नानूराम के वारिसान है। भैराराम पुत्र श्री नानूराम के नाम चक 5 एन.टी.डब्ल्यू के खाता सं. 69/50 खाता भैराराम जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 (जमाबन्दी 2078) में आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जिसकी जमाबन्दी संलगन है। दावा की दफा 3 में दर्ज वादग्रस्त आराजी भैराराम पुत्र श्री नानूराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जो कि फौत हो गए है तथा इनके वारिस वादी तथा इनकी पुत्रीयां प्रतिवादी सं. 1 ता 5 व कमला देवी तथा सरबती है। जो कि भैराराम पुत्र श्री नानूराम के नाम दर्ज आराजी के ब.हि.ब. के विरास्तन हकदार है। कमला देवी पुत्री श्री भैराराम भी फौत हो गई है जिनके वारिस प्रतिवादी सं. 6 ता 8 ही है। जो कि कमला देवी पुत्री श्री भैराराम के नाम दर्ज आराजी में से ब.हि.ब. के हकदार है। इसी प्रकार सरबती पुत्री श्री भैराराम भी फौत हो गई है जिनके वारिस प्रतिवादी सं. 9 ता 13 ही है। जो कि सरबती पुत्री श्री भैराराम के समस्त हक व हिस्सा के

लगातार --3

अतिरिक्त कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

ब.हि.ब. के हकदार है। प्रतिवादी सं. 1 ता 13 ने अपने पूर्वज भैराराम पुत्र श्री नानूराम से प्राप्त अपनी समस्त विरास्त हक व हिस्सा का परित्याग वादी के पक्ष में कर दिया है। अतः दावा की दफा 3 में दर्ज वादग्रस्त आराजी का वादी भैराराम खातेदार काश्तकार है। उक्त आराजी में प्रतिवादी सं. 1 ता 13 का कोई हक व हिस्सा नही है। इसी कदर की घोषणात्मक डिग्री वादी प्राप्त करने का अधिकारी एवं दावेदार है। वादी दावा की दफा 4 के मुताबिक काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। कब्जा काश्त बाबत कोई विवाद नही है लेकिन दावा की दफा 3 में दर्ज वादग्रस्त आराजी वादी के नाम दावा की दफा 4 के मुताबिक दर्ज नही होने के कारण वादी के खातेदारी अधिकारों पर बुरा प्रभाव पड़ता है इसलिये वादी ने प्रतिवादीगण से कई दफा निवेदन किया कि वे मुझ वादी को दावा की दफा 4 के मुताबिक खातेदार काश्तकार होना मान इसी मुताबिक राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवा देवे लेकिन पहले तो वे टाल मटोल करते रहे। लेकिन अन्त में पिछले सप्ताह वे वादी के इस निवेदन से स्पष्ट इन्कारी हो गये। यही विनाय दावा है।

वादी की ओर से जरिये वकील उक्त दावा पेश होने के बाद एवं सिगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। वादी की ओर से प्रतिवादीगण की तलबी वास्ते सम्मन तलवाना पेश किया गया तथा प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1ता13 की ओर से श्री गुरविन्द्र सिंह राजपाल, एडवोकेट ने जवाब दावा पेश कर वाद वादी डिक्री किये जाने पर अपनी सहमति व्यक्त की। जबकि प्रतिवादी सं. 14 की ओर से जरिये राजपैरोकार जवाब दावा पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत जवाब दावा में वादी के वाद का कोई विरोध नही किया गया है। इसलिये उक्त प्रकरण में तनकीआत कायम करने की कोई आवश्यक्ता नही है। साक्ष्य वादी मे वकील वादी द्वारा वादी शंकरलाल पुत्र श्री भैराराम का शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सी.पी.सी. पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया तथा वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्शित किये गये। वकील वादी तथा वकील प्रतिवादीगण द्वारा अन्य साक्ष्य नही पेश करने पर साक्ष्य बंद किये गये। दौराने बहस वकील वादी द्वारा दावा में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए वाद वादी डिक्री किये जाने पर निवेदन किया गया तथा प्रतिवादीगण द्वारा डिक्री किये जाने पर अपनी सहमति जाहिर की गई। वकील वादी तथा वकील प्रतिवादीगण की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजो व साक्ष्य से

लगातार --4

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
मंगरिया

वाद वादी पूर्णतः सिद्ध पाया जाता है क्योंकि वादग्रस्त आराजी वादी तथा प्रतिवादी सं. 1ता13 की विरास्तन कृषि भूमि है तथा उक्त कृषि भूमि भैराराम पुत्र श्री नानूराम के फौत होने के बाद विरासतन प्राप्त हुई है। अतः सहमति के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

-::क्रियात्मक आदेश::-

अतः वाद वादी डिक्री किया जाकर आदेश दिया जाता है कि चक 5 एन.टी.डब्ल्यू. के खाता सं. 69/50 खाता भैराराम जमाबन्दी सम्वत् 2071-2074 (जमाबन्दी 2078) में दर्ज कुल 1.771 है. आराजी का वादी खातेदार काश्तकार है। उक्त आराजी में प्रतिवादी सं. 1 ता 13 का कोई हक व हिस्सा नही है। अतः इसी मुताबिक राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम अमलदरामद किया जाकर उक्त चक के उक्त खातो में से भैराराम पुत्र श्री नानूराम का नाम कलमजन किया जावे। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावें। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील नम्बर से कम किया दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 10.3.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया